

517

समक्ष माननीय दाजस्व मण्डल व्यालियर संभाग व्यालियर

निगदानी प्रकरण क्रमांक /2015

निगदी 3388/I/15


पुनरीक्षणकर्ता.....

लालता प्रसाद पुत्र श्री कन्हैया
लाल श्रीवास्तव, आयु- 83 वर्ष,
व्यवसाय- पेसनर्स, निवासी-
बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा
मुख्यारआम महेश प्रसाद पुत्र श्री
मोहन लाल श्रीवास्तव, निवासी-
बरेठ रोड, बासौदा जिला विदिशा

बनाम

अनावेदकगण.....

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री जानकी
प्रसाद ब्राह्मण, आयु- 68 वर्ष
2. तुलसीराम मृत द्वारा वारिसान
अ. शैलेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल,
आयु- 45 वर्ष,
- ब. कुमारी अमन पुत्री पुरुषोत्तम
ब्राह्मण, आयु-30 वर्ष,
3. श्यामलाल मृत द्वारा वारिसान
अ. परमानंद पुत्र श्यामलाल, आयु-
68 वर्ष,
ब. कृष्णानंद उर्फ रामस्वरूप पुत्र
श्यामलाल ब्राह्मण, आयु- 51 वर्ष
समस्त निवासी- ग्राम बरवाई
तहसील कुरवाई जिला विदिशा
.....अनावेदकगण / आवेदकगण
4. राधिकाप्रसाद मृत द्वारा वारिसान
अ. रामबाबू पुत्र श्री राधिकाप्रसाद,
आयु- 50 वर्ष, नायव तहसीलदार
सीहोर (म.प्र.)



ब. अजय कुमार पुत्र राधिका प्रसाद,
आयु- 45 वर्ष, शिक्षक शेरपुरा
विदिशा (म.प्र.)

5. अम्बिका प्रसाद मृत द्वारा वारिसान
अ. ओमप्रकाश पुत्र श्री अम्बिका
प्रसाद आयु- 45 वर्ष,

ब. भूरा उर्फ छोटा पुत्र अम्बिका
प्रसाद, आयु- 40 वर्ष, समस्त
जाति कायस्थ निवासीगण- ग्राम
हिनोतिया तहसील सिरोंज जिला
विदिशा (म.प्र.)

स. विनोद श्रीवास्तव एडवोकट पुत्र
श्री अम्बिकाप्रसाद निवासी सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)

6. राजकुमार पुत्र हीरालाल जैन,
निवासी- ग्राम बरवाई तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. शू-यज्ञव द्वारा 1959 उक्त
पुनरीक्षण आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय कुरवाई जिला
विदिशा के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/2012-13 उनमान
लक्ष्मीनारायण आदि बनाम लालताप्रसाद आदि में अनावेदक लालता प्रसाद द्वारा
प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 1 सी.पी.सी. स्थृपित धारा 151
सी.पी.सी. में पारित आदेश दिनांक 18.09.2015 जिसके द्वारा अनावेदक द्वारा
प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र को निरक्षा किया गया है, से दुखित होकर माननीय के
समक्ष प्रस्तुत है। उक्त आदेश की प्रति व आवेदन व जवाब की प्रति अनेकजर
ए/1 से प्रदर्शित की गई है।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3388-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	